

2

# FORM NO. III

2023/249

## फर्द अहकाम

(नियम 26)

उप खण्ड अधिकारी  
अज अदालत बडीसादडी, जिला नितौड़गढ़ मुकाम  
श्री क. क. लोख बनाम ह. ग. लाल  
किस्म मुकदमा नं. सन्  
प्रा. पञा 128 179/2023

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
15/6/23	<p>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल. आर.एक्ट का बाद जांच पेश हुआ, जिसे दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया एक पक्षीय बहस सूनी गई। तहसीलदार बडीसादडी को कमीश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि मौजा..... की ग्राम..... की आ. नं. 108, 227, 228, 230, 231 कु. 5 (कु. 5) की विभिन्न आराजीयात की पत्थरगढी विपक्षीगणा 233 = 0.28 की की मौजुदगी में की जावे।</p> <p>प्रार्थी से कमीश्नरी फिस रूपये 1000/- वसूल किये जाकर राजकोष में जमा करावें। पत्रावली में हुकमनामा जारी होकर फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी बडीसादडी</p>	<p>0.44 है 0.72 है</p>

